अध्याय-2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षो का संगठन

2.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- कोर नेटवर्क के साथ-साथ जिला ग्रामीण सड़क योजना को चिन्हित/तैयार करने के लिए प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं पर्याप्त थीं और कार्यक्रम प्रावधानों की संगति में थीं;
- सड़को के निर्माण-कार्य मितव्ययी, सक्षम एवं प्रभावी रूप से किये जा रहे थे;
- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का आबंटन एवं निर्गम धनराशि का पूरा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध था;
- मौजूदा मॉनीटरिंग प्रणाली एवं गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.1.2 लेखापरीक्षा क्रिया-विधि

ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) के साथ 27 अप्रैल 2015 को सम्मेलन के साथ शुरू हुई निष्पादन लेखापरीक्षा, जहाँ लेखापरीक्षा क्रिया-विधि, विषय-वस्तु, उद्देश्य एवं मानदंड पर चर्चा की गयी थी। इसके साथ ही, प्रत्येक राज्य में संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल शीर्ष विभाग के साथ एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। उसके बाद, कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखों की मंत्रालय, एनआरआरडीए एवं राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों में मई 2015 से अक्टूबर 2015 तक जांच हुई थी। निर्मित/सुधार किये गये सड़कों के अस्तित्व एवं स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक सगंठित प्रश्नावली का उपयोग करके एक संयुक्त सत्यापन भी किया गया था। लेखापरीक्षा की समाप्ति एवं लेखा परीक्षा निष्कर्षों के समेकन के पश्चात, एक एक्जिट कांफ्रेंस मंत्रालय के साथ 13 अप्रैल 2016 को आयोजित की

गई थी जिसमें ड्राफ्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी थी। एक्जिट कांफ्रेंस राज्य स्तरों पर भी किये जाते थे, जहाँ राज्य विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा होती थी। प्रतिवेदन में मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किये गये जवाबों पर विचार किया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड का स्त्रोत

लेखापरीक्षा मानदण्ड के प्रमुख स्त्रोत निम्नलिखित थे:

- मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के दिशानिर्देश एवं उनमें संशोधन;
- कार्यक्रम की परिचालन नियम-पुस्तिक, ग्रामीण सड़क नियम-पुस्तिक आदि;
- एनआरआरडीए द्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन/निर्देश/दिशानिर्देश;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का आउटकम बजट;
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आवधिक प्रतिवेदन/रिटर्न;
- मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश;
- राष्ट्रीय एवं राज्य गुणवत्ता मॉनीटर एवं राष्ट्र स्तरीय मॉनीटरो के प्रतिवेदन;

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं आवर्तन

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान कार्यान्वित योजना को शामिल किया गया। इसमें मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (एनआरआरडीए), केन्द्र स्तर पर एक शीर्ष अभिकरण एवं राज्यों में कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी। सभी यूटी को छोड़ दिया गया था चूंकि निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई धनराशि नहीं दी गयी थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा सैम्पलिंग

नमूनों के चयन हेतु निम्नलिखित संख्यिकी सरंचना का उपयोग किया गया था:

चरण-I

- प्रत्येक राज्य को भौगोलिक रूप से संलग्न प्रदेशों में बांटा गया था तथा नमूनों को पूरे राज्य का नमूना प्रतिनिधित्व बनाने हेतु प्रत्येक क्षेत्र से लिया गया था;
- प्रत्येक क्षेत्र (न्यूनतम दो के तहत) से जिलों के 25 प्रतिशत का चयन विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत व्यय के आकार के आधार पर जिलों को चुनने हेतु बिना प्रतिस्थापन आकार के प्रति संभावित अनुपात (पीपीएसडब्ल्यूओआर) पद्धति का प्रयोग कर किया गया था।

चरण-II

- चरण-I के प्रत्येक चयनित जिले में, बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एसआरएसडब्ल्यूओआर) के आधार पर पैकेजों[1] का चयन किया गया था जिसे **तालिका 2.1** में दिया गया है:-

तालिका-2.1 : पैकेजों के चयन का मानदण्ड

चयनित जिलों में पैकेजों की संख्या	चयनित पैकेज
5 तक	पैकेजों के 100 प्रतिशत
5 से ऊपर और 10 तक	न्यूनतम पाँच के तहत कुल पैकेजों का 50 प्रतिशत
10 से ऊपर	न्यूनतम पाँच के तहत कुल पैकेजों का 25 प्रतिशत

- प्रत्येक चयनित पैकेज के अंतर्गत निर्माण-कार्यों की 100 प्रति लेखापरीक्षा हुई थी।

आवृत लेखापरीक्षा नमूना नीचे के **चार्ट 2.1** में दिया गया है:

[1]पैकेज एक लॉट में दिए गए निर्माणकार्यों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है।

चार्ट-2.1 : नमूना चयन

नमूना जिलों के ब्यौरे **अनुबंध-2.1** एवं **2.2** में दिये गये हैं।

2.2 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पीएमजीएसवाई की 2000-01 से 2004-05 हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2005 एवं जून 2005 के मध्य की गयी थी तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2006 की प्रतिवेदन सं. 13 (संघ सरकार-सिविल) में संसद को सूचित किया गया था।

लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) ने अपनी 72$^{वीं}$ रिपोर्ट (2007-08) में 2006 के प्रतिवेदन सं. 13 (संघ सरकार सिविल) में संसद को सूचित पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कई अभ्युक्तियां/अनुशंसाए की थीं। इसके अतिरिक्त, समिति (चौदहवीं लोक सभा) ने अपनी 82$^{वीं}$ रिपोर्ट (2008-09) में अपनी 72$^{वीं}$ रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों तथा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत (अक्तूबर 2008) कार्रवाई टिप्पणियों पर चर्चा की थी।

पीएमजीएसवाई की 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि सीएजी के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इंगित कमियां, मंत्रालय द्वारा पीएसी को दिये गये आश्वासन के बावजूद मौजूद थीं, जैसा कि **तालिका-2.2** में दिखाया गया है:

तालिका 2.2 : लोक लेखा समिति की कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों/सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) योजना के पीएमजीएसवाई से संबंधित दिशानिर्देशों में शामिल सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को दोहराना। **(अनुशंसा सं.3)**	मंत्रालय द्वारा सिफारिश/ अनुशंसा को स्वीकार किया गया व स्पष्ट किया कि **कर्नाटक** एवं **ओडिशा** में स्थानीय एनजीओ के साथ नमूना लेखा परीक्षा कार्य एवं परियोजनाओं की नागरिक मॉनीटरिंग हेतु शुरू की गयी प्रधान परियोजना के आधार पर, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा लेखा परीक्षा हेतु समुचित प्रणाली बनाने का निर्णय लिया जाएगा।	सामाजिक लेखा परीक्षा की अवधारणा को कार्यक्रम दिशानिर्देश में शामिल नहीं किया गया है। **(पैरा सं. 6.7)**
2	मौजूदा सड़को पर व्यय को दुबारा होने से रोकने की दृष्टि से जिला/राज्य-वार योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करना। **(अनुशंसा सं.4)**	मंत्रालय द्वारा अपने कार्रवाई टिप्पणी में बताया गया कि **आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल** एवं **पश्चिम बंगाल** को छोड़कर सभी राज्यों के कोर नेटवर्क को अंतिम रूप एवं उनका स्थिरीकरण कर दिया गया था, जिन्होने कोर नेटवर्क में अतिरिक्त मार्जीनल परिवर्तन करने का अनुरोध किया था।	कोर नेटवर्क को अभी भी स्थिर नहीं किया गया है चूंकि मुख्यत: राज्यों द्वारा सर्वेक्षणों में अपर्याप्तताओं के कारण 13,209 बस्तियों को पहले शामिल नहीं किया गया था उन्हें कोर नेटवर्क में जोड़ा गया था। **(पैरा 3.3.1)**
3	वित्तीय अनियमितताओ के सभी मामले की अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए और	राज्यों को चूकों के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए और दो माह के अंदर	कार्यक्रम निधियों के गैर अनुमेय मदों एवं निर्माण-कार्यों हेतु विपथन के मामले

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
	संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उनके चूक एवं कृत्यों हेतु समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। **(अनुशंसा सं. 9)**	धनराशि की वसूली के लिए कहा गया था।	अभी तक बने हुए थे। **(पैरा सं. 5.10)**
4	ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली का एक समग्र जीआईएस डाटाबेस प्रत्येक राज्य के लिए तैयार किया जाना चाहिए, जिसे विभिन्न स्तरों पर और ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव में संलग्न विभिन्न अभिकरणों द्वारा बांटा जा सकता है। आगे, एक सड़क अनुरक्षण प्रबंधन प्रणाली भी जीआईएस डाटाबेस का प्रयोग कर विकसित की जा सकती है, जो सड़कों को लंबे समय तक न्यूनतम प्रयासों के साथ बचे रहने में सक्षम बनाएगी। **(अनुशंसा सं. 12)**	मंत्रालय ने ग्रामीण सड़क प्रणाली हेतु स्ट्रैंडअलोन एवं वेब आधारित जीआईएस डाटाबेस के विकास की पहल की थी। और राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश का शुरूआती राज्यों के रूप में चयन किया। सभी राज्यों को जीआईएस डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाये जो अनुरक्षण प्रबंधन हेतु प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकेगा।	ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली हेतु जीआईएस आधारित डाटाबेस के सृजन में कोई विकास नहीं हुआ था। **(पैरा 3.4)**
5	मंत्रालय को योजना के अंतर्गत संस्वीकृत निर्माण-कार्यों को, परियोजनाओं के निष्पादन की शुरूआत करने के पूर्व, पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ सत्यापित एवं क्रॉस चेक करने के लिए मार्ग निकालना चाहिए ताकि दुहराव/अतिव्याप्ति न हो। **(अनुशंसा सं.13)**	मंत्रालय द्वारा अनुशंसा को स्वीकार किया गया व बताया गया कि कार्यकारी अभिकरण से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का किसी अन्य योजना के तहत निधियन/ कार्यान्वयन नहीं हुआ था, जुलाई 2008 में तंत्र की शुरूआत की गयी	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात अन्य राज्य अभिकरणों द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों, सड़कों का अन्य विभागों को स्थानांतरण, अन्य राज्य योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सड़कों आदि के कारण प्रस्तावों को छोड़ना निरंतर था। **(पैरा 4.2.2)**

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
		थी। इस तंत्र से परियोजना प्रस्तावों में दुहराव/अतिव्याप्ति को समाप्त करने की आशा थी।	
6	मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए, कि योजना के अंतर्गत लिये गये सभी निर्माण-कार्य सदैव कोर नेटवर्क के भाग रहेंगे, समुचित कदम उठाने चाहिए। **(अनुशंसा सं.15)**	मंत्रालय द्वारा अनुशंसा को स्वीकार किया गया व बताया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रस्तावों को कोर नेटवर्क मे शामिल किया गया है कठोर नियंत्रण लागू किए जाएंगे।	12 राज्यों में 109 सड़क निर्माण कार्यों का कोर नेटवर्क के बाहर चयन किया गया था। **(पैरा 3.6.4)**
7	मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए कि चरण III में शुरू किये गये निर्माण-कार्य दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं और कोई भी गैर अनुमेय निर्माण-कार्य नहीं किया जाएगा। **(अनुशंसा सं.15)**	मंत्रालय द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रारम्भ किए गए कार्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं कदम उठाए जा रहे हैं।	अयोग्य रास्ते की दूरी वाले एवं जनसंख्या आकार वाले बस्तियों को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। **(पैरा 3.3.5)**
8	मंत्रालय मामले को राज्यों के समक्ष उठाएगा ताकि सबंधित प्राधिकारियों पर निविदा को अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। **(अनुशंसा सं.18)**	मंत्रालय ने अनुशंसा को स्वीकार किया व बताया कि राज्यों को प्रत्येक माह निविदा प्रक्रिया में हुए विलंबों को मानीटर करने के लिए कहा गया है और असामान्य विलंब के मामलों में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की जाए।	14 राज्यों में, 2,961 निविदाएं 974 दिनों के विलंब के साथ पूर्ण की गयी थीं। **(पैरा 4.3.4)**

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
9	मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य केवल उन परियोजना प्रस्तावों को प्रायोजित करे जहाँ भूमि की स्पष्ट उपलब्धता है और वन एवं अन्य प्राधिकारों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो ताकि निर्माण-कार्यो का बीच में परित्याग या उन्हें आपूर्ण न छोड़ दिया जाए। **(अनुशंसा सं.20)**	मंत्रालय ने अनुशंसा को स्वीकार किया गया व बताया गया कि प्रत्येक सड़क के लिए प्रस्ताव के साथ भूमि उपलब्धता का प्रमाण-पत्र हो, यह निर्देश दोहराया गया था। भूमि की स्पष्ट उपलब्धता को परियोजना की संस्वीकृति के समय ध्यान में रखा जाएगा ताकि भविष्य में निर्माण-कार्यों को भूमि की अनुपलब्धता के कारण न छोड़ा जाए।	16 राज्यों में 910 निर्माण-कार्य भूमि विवादों के कारण बीच में ही छोड़ दिये गये या उनका परित्याग कर दिया गया। **(पैरा 4.2.2)**
10	मंत्रालय को राज्यों द्वारा शुरू किए गए निर्माण-कार्यों पर निरंतर नजर रखनी चाहिए और राज्यों की अनुबंध क्षमता की समीक्षा करनी चाहिए तथा उसका सुदृढीकरण करना चाहिए ताकि जहां आवश्यक हो परियोजना के सामयिक समापन को सुनिश्चित करने हेतु समय पर निदानात्मक कदम उठे। **(अनुशंसा सं.21)**	मंत्रालय ने राज्यों का समर्थन करने के लिए प्रयास किया है जिससे लागत एवं समय की वृद्धि से बचने के लिए संस्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को सुनिश्चित किया जा सके।	26 राज्यों में, 4,496 निर्माण कार्यों को एक माह से लेकर 129 महीनों तक के विलंब के साथ पूरा किया पाया गया। **(पैरा 4.4.8)**
11	राज्यों के सहकारिता में परिसमाप्त क्षतियों के सभी मामलों को गंभीरता से मानीटर करना ताकि क्षतियों को एक निर्धारित समय अवधि	राज्यों को अनुबंध प्रबंधन पर आर्थिक बल देने, समय-सारणी से पीछे चल रहे सभी निर्माण-कार्यों को मॉनीटर करने और चूककर्ता	16 राज्यों में, 459 निर्माण-कार्यों में, ₹131.50 करोड़ की परिसमाप्त क्षतियां लगाई नहीं गई थी।

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
	में पूरी तरह ठीक किया जाए। मंत्रालय को उन संबंधित राज्यो पर जुर्माना लगाना चाहिए जो उन ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में असफल हुए जहाँ निर्माण-कार्य समय-सारणी के पीछे थे। **(अनुशंसा सं.22)**	ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने, परिसमाप्त क्षतियों के नहीं लगाए गये और ठीक नहीं होने वाले मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया है।	**(पैरा 4.4.9)**
12	मंत्रालय को सड़क निर्माण के विभिन्न स्तरों पर ठेकेदारों द्वारा उपयुक्त कच्चे माल की आवधिक जाँच हेतु सभी राज्यों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के गठन एवं अनुरक्षण हेतु सभी संभावनाओं की खोज करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्मित सड़कों की गुणवत्ता सुनिर्धारित मानकों की संगति में है। **(अनुशंसा सं.23)**	एनआरआरडीए ने गुणवत्ता तंत्र के प्रथम स्तर के परिचालन को मॉनीटर करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। फिल्ड प्रयोगशालाओं के गठित न होने के मुद्दे को मानीटर किया गया था तथा इसे राज्यों के समक्ष विभिन्न समीक्षा बैठकों में चर्चा के दौरान उठाया गया है।	12 राज्यों में फिल्ड प्रयोगशालाओं के गठित न होने, उपकरणों की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित श्रम शक्ति की तैनाती न होने और आवश्यक परीक्षणों को नहीं किये जाने के मामले देखे गये थे। **(पैरा 6.1.1)**
13	मंत्रालय को एक व्यवहारिक कार्य योजना के विकास के द्वारा कमियों को हटाने के दृष्टि से ओम्मास के परिचालन की समीक्षा करनी चाहिए। ओम्मास के लेखांकन माडयूल को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए जो योजना के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कारगर होगा।	ओम्मास के परिचालन की एक समग्र समीक्षा राज्यों के परामर्श से की गयी थी। प्रणाली में कमियों को मूल्यांकित किया गया था और एक कार्य-योजना बनायी गयी। सॉफ्टवेयर के मुद्दों को सी-डैक को दे दिया गया है। ओम्मास में डाटा अद्यतित करने में राज्यों	कार्यक्रम की ओम्मास के माध्यम से मॉनीटरिंग अब तक अप्रभावी थी चूंकि प्रणाली में प्रविष्ट आंकड़े अद्यतित एवं विश्वसनीय नहीं थे। **(अध्याय 8)**

क्र.सं.	लोकलेखा समिति की अनुशंसाए	मंत्रालय के उत्तर	वर्तमान लेखा परिक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
	राज्यों को ऑनलाइन सूचना को अद्यतित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जहाँ कही ओम्मास संस्थापित नहीं है, मंत्रालय को शीघ्र प्रणाली संस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। **(अनुशंसा सं.26)**	के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।	

2.3 वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन

लेखापरीक्षा के मुद्दों को राष्ट्र-व्यापी परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया और केन्द्र एवं राज्य स्तर पर देखे गये सारांशीकृत निष्कर्षों का इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

लेखा निष्कर्षों को **छः** अलग-अलग अध्यायों में सूचित किया गया है। अध्याय **3** में योजना गतिविधियों के बारे में बताया गया है। अध्याय **4** कार्यक्रम कार्यान्वयन के ब्यौरे प्रदान करता है और अध्याय **5** निधि प्रबंधन से संबंधित लेखा परिक्षा निष्कर्षों की चर्चा करता है। अध्याय **6** कार्यक्रम के गुणवत्ता नियंत्रण, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन को आवृत करता है। अध्याय **7** में कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़को के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के निष्कर्ष निहित हैं। अध्याय 8 में ओम्मास के आइटी लेखापरीक्षा के बारे में बताया गया है।

शब्दावली को इस प्रतिवेदन के अंत में रखा गया है।

2.4 आभार

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान विभिन्न चरणों में मंत्रालय, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन विभागों एवं उनके अधिकारियों द्वारा की गयी सहभागिता और सहायता के लिए आभारी है।